

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-15/2010/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त, 2011

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- राज्य के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/मंडलों/स्वायत्त संस्थाओं के अध्यक्षों/उपाध्यक्षों/सदस्यों को देय मानदेय एवं अन्य सुविधाएं ।

संदर्भ- वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ 11-36/2003/नियम/चार, दिनांक 4 फरवरी, 2006.

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञाप में राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/मंडलों/स्वायत्त संस्थाओं के अशासकीय पदाधिकारियों को संदर्भित परिपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट के सरल क्रमांक 1 में वेतन के स्थान पर मानदेय प्रतिस्थापित किया जाता है ।

2/ संदर्भित परिपत्र के सरल क्रमांक 1 एवं 2 में मानदेय तथा सत्कार भत्ता सरल क्रमांक 3 में यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता तथा सरल क्रमांक 12 में किराये के आवास की सुविधा की वर्तमान दरों को संशोधित करते हुये निम्नानुसार दरें निर्धारित की जाती हैं :-

स.क्रं.	देय सुविधाओं का प्रकार	अध्यक्ष		उपाध्यक्ष/सदस्य	
		वर्तमान दरें	पुनरीक्षित दरें	वर्तमान दरें	पुनरीक्षित दरें
1	2	3	4	5	6
1 एवं 2	मानदेय एवं सत्कार भत्ता	₹ 4000 + 5000/- (मासिक) = 9000	₹ 13000/- (मासिक)	₹ 3600 + 3000/- (मासिक) = 6600	₹ 10000/- (मासिक)
3.	यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ते	₹ 80/- (राज्य के भीतर) ₹ 120/- (राज्य के बाहर)	राज्य शासन के "ए" श्रेणी के अधिकारी की भांति	₹ 80/- (राज्य के भीतर) ₹ 120/- (राज्य के बाहर)	राज्य शासन के "ए" श्रेणी के अधिकारी की भांति
12.	किराये के आवास की सुविधा	₹ 8150/- (मासिक)	₹ 20,000/- (मासिक)	₹ 6750/- (मासिक)	₹ 15000/- (मासिक)

2/ संदर्भित ज्ञाप के संलग्न परिशिष्ट में दर्शित शेष सुविधाएं/दरें तथा स्वीकृति की शर्तें पूर्ववत् रहेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(एस. एन. मिश्रा)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 11-15/2010/नियम/चार
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त, 2011

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।



अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग